बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

बिहार बॉयो–फ्यूल एवं कम्प्रेस्ड बायो–गैस (सी0बी0जी0) उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026

1. प्रस्तावना

बिहार राज्य में निवेशकोन्मुखी वातावरण के सृजन तथा बॉयो–फ्यूल एवं कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0) सहित उभरते क्षेत्रों में निवेश के सुगमीकरण हेतु उत्तरोत्तर उपाय अपना रहा है। राज्य द्वारा व्यवसाय करने में सुगमता, रोजगार सृजन तथा सतत् आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वोत्तम पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, सिंगल विण्डो क्लीयरेंस, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन सत्यापन, स्व–अभिप्रमाणन, समयबद्ध अनुमोदन, सूचनाओं की ऑनलाइन उपलब्धता, मानक संचालन प्रक्रियाएँ, मानित अनुमोदन तथा अन्य निवेशक सुगमीकरण तंत्र जैसे उपायों को सभी विभागों एवं सरकारी एजेंसियों में सुदृढ़ किया जा रहा है।

समग्र उद्देश्य यह है कि सतत् औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य के कृषि, पशुधन एवं जैविक अपशिष्ट संसाधनों से अधिकतम मूल्य संवर्धन किया जाए तथा साथ ही रोजगार एवं अतिरिक्त आय के अवसर सृजित किए जाएँ। बिहार सरकार सम्पूर्ण राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु अवसंरचना, कौशल विकास, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि एवं कृषि–प्रसंस्करण को सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य कर रही है।

बिहार सरकार द्वारा राज्य में इथेनॉल विनिर्माण को संभावित निवेशकों हेतु अधिक आकर्षक बनाने तथा बिहार के कृषि संसाधनों में मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तैयार कर अधिसूचित की गई। उक्त नीति द्वारा राज्य में निवेश के सुगमीकरण तथा इथेनॉल विनिर्माण उद्योगों के विकास हेतु एक ढाँचा उपलब्ध कराया गया है।

बॉयो–फ्यूल उत्पादन के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा तत्पश्चात् कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0)/बायो–सी0एन0जी0 विनिर्माण इकाइयों को समाहित करते हुए बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 स्वीकृत की गई थी। उक्त नीति में नवीकरणीय ईंधन के उत्पादन हेतु कृषि अवशेषों, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम0एस0डब्ल्यू0), सीवेज तथा अन्य जैव–निम्नीकरणीय फीडस्टॉक की क्षमता को मान्यता देते हुए किसानों, ग्रामीण उद्यमों एवं रोजगार सृजन हेतु अवसरों का सृजन किया गया है।

पूर्ववर्ती नीतिगत ढाँचों के अनुभव के आधार पर बिहार बॉयो–फ्यूल एवं सी0बी0जी0 उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026 के माध्यम से राज्य में बॉयो–फ्यूल एवं सी0बी0जी0 उत्पादन के पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर, प्रेस मड, खाद्य एवं नगरीय अपशिष्ट, सीवेज स्लज तथा अन्य जैव–निम्नीकरणीय फीडस्टॉक के अवायवीय पाचन से उत्पादित सी0बी0जी0 अपशिष्ट प्रबंधन के समाधान, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा पारम्परिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी का अवसर प्रदान करती है। यह जैविक संसाधनों के उत्पादक उपयोग तथा मूल्यवान जैव–खाद एवं अन्य उप–उत्पादों के सृजन के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी समर्थन प्रदान कर सकती है।

सुदृढ़ कृषि आधार, विशाल पशुधन, बायोमास एवं जैविक अपशिष्ट धाराओं की उपलब्धता तथा विस्तार हो रहे नगरीय केन्द्रों के कारण बिहार में बॉयो–फ्यूल एवं सी0बी0जी0 उत्पादन की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है। राज्य सरकार यह मानती है कि इस क्षमता की प्राप्ति हेतु एक ऐसा सक्षमकारी नीतिगत ढाँचा आवश्यक है, जो निवेश, फीडस्टॉक एकत्रीकरण, परियोजना कार्यान्वयन, अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, बाजार लिंकेज तथा संस्थागत समन्वय का सुगमीकरण किया जा सकता है। तदनुसार, बिहार बॉयो–फ्यूल एवं सी0बी0जी0 उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026 का उद्देश्य वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य एवं सतत् बॉयो–फ्यूल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना, रोजगार एवं ग्रामीण आर्थिक अवसरों का सृजन करना, राज्य के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना तथा ऊर्जा सुरक्षा एवं सतत् विकास के व्यापक उद्देश्यों में योगदान संभव है।

2. पृष्ठभूमि

सतत् एवं वैकल्पिक ईंधनों को प्रोत्साहित करने तथा आयातित जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता कम करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा अनेक हस्तक्षेप किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ई0बी0पी0) कार्यक्रम का प्रोत्साहन, बॉयो–फ्यूल उत्पादन हेतु फीडस्टॉक का विविधीकरण, कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0) का प्रोत्साहन, वित्तीय एवं विनियामक उपाय तथा बॉयो–फ्यूल के उत्पादन एवं उपयोग हेतु सक्षमकारी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की पहलें सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 का लक्ष्य अनेक परिणामों की प्राप्ति है, जिनमें पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान, आयात पर निर्भरता में कमी, स्वच्छतर ईंधनों का प्रोत्साहन तथा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना सम्मिलित है। उक्त नीति देश में उपलब्ध फीडस्टॉक की व्यापक श्रेणी से जैव ईंधनों के उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक ढाँचा प्रदान करती है।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 तथा उसके पश्चात्वर्ती संशोधनों द्वारा बी–हैवी मोलासेस, गन्ना रस, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, अधिशेष चावल एवं मक्का सहित विविध फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन को सक्षम बनाया गया है। उक्त नीतिगत ढाँचे में कृषि अवशेषों, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम0एस0डब्ल्यू0), सीवेज तथा अन्य उपयुक्त जैव–निम्नीकरणीय फीडस्टॉक से, यथा समय–समय पर संशोधित, कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0)/बायो–सी0एन0जी0 के उत्पादन का भी प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 06.08.2026 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्सेज धन), राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना को वित्तीय वर्ष 2026–27 से वित्तीय वर्ष 2035–36 की अवधि हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना सुनिश्चित बाजार पहुँच, उठाव व्यवस्था, मूल्य समर्थन, पूंजीगत सहायता, पाइपलाइन एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, ऋण सुविधा, जोखिम न्यूनीकरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र विकास से संबंधित उपायों के माध्यम से जैव ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करती है। यह योजना चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों, सतत अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के त्वरित प्रसार के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।

सुदृढ़ कृषि आधार, विशाल पशुधन तथा गन्ना, मक्का, चावल, कृषि अवशेष, पशु गोबर एवं अन्य जैविक अपशिष्ट धाराओं जैसे फीडस्टॉक की उपलब्धता के कारण बिहार में बॉयो–फ्यूल क्षेत्र के विकास की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है। राज्य में कृषि एवं पशुधन अवशेषों, खाद्य अपशिष्ट, नगरीय अपशिष्ट तथा अन्य जैव–निम्नीकरणीय संसाधनों से सी0बी0जी0 उत्पादन की भी पर्याप्त क्षमता है। राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा एवं भारत सरकार की तत्पश्चात्वर्ती पहलें बिहार में इथेनॉल एवं सी0बी0जी0 विनिर्माण के सतत विकास हेतु अनुकूल विनियामक एवं संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करती हैं।

बिहार बॉयो–फ्यूल एवं सी0बी0जी0 उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026 राज्य के संसाधन आधार का उपयोग करने तथा बॉयो–फ्यूल एवं सी0बी0जी0 परियोजनाओं में निवेश हेतु सक्षमकारी पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने के उद्देश्य से लाई गई है। इन उद्योगों का विकास किसानों, उद्यमियों एवं श्रमिकों हेतु सतत् आय के अवसर प्रदान कर सकता है, कृषि एवं जैविक अपशिष्ट के वैज्ञानिक उपयोग को प्रोत्साहित कर सकता है, रोजगार सृजित कर सकता है तथा राज्य के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान संभव है।

3. उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य राज्य में ग्रीनफील्ड में 100 प्रतिशत इथेनॉल तथा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0)/बायो–सी0एन0जी0 विनिर्माण इकाइयों के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, जिससे निवेशकों, किसानों एवं अन्य सभी हितधारकों को लाभ पहुँचाना है।

- सम्पूर्ण बिहार में इथेनॉल एवं सी0बी0जी0/बायो–सी0एन0जी0 परियोजनाओं की स्थापना एवं कमीशनिंग में तेजी लाना तथा परिचालित संयंत्रों के क्षमता उपयोग में सुधार करना है।

- इस क्षेत्र हेतु एक समर्पित शासन संरचना, एक एकीकृत फीडस्टॉक योजना ढाँचा तथा किण्वित जैविक खाद (एफ0ओ0एम0) एवं तरल किण्वित जैविक खाद (एल0एफ0ओ0एम0) उप–उत्पाद हेतु एक संरचित बाजार स्थापित करना।
- जिला एवं प्रखंड स्तरीय बायोमास आकलन, परिभाषित कमांड एवं कैचमेंट क्षेत्र आवंटन तथा निबंधित दीर्घकालिक आपूर्ति लिंकेज के माध्यम से दीर्घकालिक फीडस्टॉक उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा आकलित अधिशेष बायोमास से अधिक क्षमता के आवंटन को रोकना।
- राज्य के कृषि–आधारित फीडस्टॉक आधार तथा जीविका, कृषक उत्पादक संगठन एवं प्राथमिक कृषि साख समिति के संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र का, जिसमें एग्रीगेटर, सहकारी समितियाँ एवं गौशालाएँ सम्मिलित हैं, उपयोग करना, जिससे फीडस्टॉक प्रदाताओं की आय में वृद्धि हो सके।
- राज्य के प्रयासों का पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एस0ए0एस0सी0आई0) ढाँचे तथा गोबरधन राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना के साथ अभिसरण करना, तथा वर्ष 2070 तक नेट–जीरो की भारत की प्रतिबद्धता में योगदान देना।

4. आच्छादन एवं कार्यक्षेत्र

4.1 इकाइयों के प्रकार हेतु पात्रता

4.1.1 केवल एकल–फीड या द्वि–फीड वाली स्टैंडअलोन डिस्टिलरी, जो 100% ईंधन–ग्रेड एथेनॉल का उत्पादन करती हैं, इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी, यदि परियोजना ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में विकसित की जाती है।

4.1.2 कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0)/बायो–सी0एन0जी0 का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगी।

4.1.3 नगर निकायों, पंचायत समितियों अथवा औद्योगिक क्षेत्रों की साझेदारी में विकसित विकेन्द्रीकृत एवं क्लस्टर–आधारित परियोजनाएँ, जिन्हें सी0बी0जी0 हब कहा गया है, पात्र होंगीः परंतु यह कि किसी क्लस्टर अथवा सी0बी0जी0 हब की प्रत्येक सी0बी0जी0 इकाई अपने स्वयं के डाइजेस्टरों से कच्ची बायोगैस का उत्पादन करेगी तथा उसका शोधन कर सी0बी0जी0 में परिवर्तित करेगी, तथा क्लस्टर साझा सी0बी0जी0 पाइपलाइन अथवा संग्रहण अवसंरचना के माध्यम से जुड़े होंगे।

4.1.4 निम्नलिखित इस नीति के अंतर्गत संयंत्र–स्तरीय प्रोत्साहनों हेतु पात्र नहीं होंगेः–

i. किसी अक्रियाशील इकाई का रेट्रोफिट अथवा पुनरुद्धार, जहाँ कोई अतिरिक्त संस्थापित क्षमता सृजित नहीं होती हो अथवा जब तक बी0आई0आई0पी0पी0 2026 में यथा परिभाषित विस्तारीकरण के मानदण्ड पूरे नहीं होते हों, तथा

ii. ऐसी सुविधा, जो किसी अन्य व्यक्ति से कच्ची बायोगैस प्राप्त कर केवल उसका शोधन, उन्नयन, संपीडन, बॉटलिंग अथवा वितरण करती हो।

4.2 फीडस्टॉक के प्रकार हेतु पात्रता

भारत सरकार द्वारा, यथा समय–समय पर संशोधित, अनुमत सभी फीडस्टॉक से इथेनॉल तथा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0)/बायो–सी0एन0जी0 का उत्पादन बिहार राज्य में अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा इथेनॉल तथा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0)/बायो–सी0एन0जी0 उत्पादन हेतु किसी अतिरिक्त फीडस्टॉक की अनुमति दिए जाने पर वह बिहार राज्य में इथेनॉल तथा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0)/बायो–सी0एन0जी0 उत्पादन हेतु स्वतः अनुमान्य होगा।

टिप्पणीः

i. इस नीति के अंतर्गत पात्रता के प्रयोजनार्थ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा समय–समय पर अधिसूचित अथवा संशोधित पश्चात्वर्ती नीति की पात्रता शर्तों, परिभाषाओं, क्षेत्रीय वर्गीकरणों तथा अनुमोदित परियोजना लागत संबंधी प्रावधानों पर भी विचार किया जाएगा। कोई भी

विनिर्माण इकाई इस नीति के अंतर्गत तथा साथ ही राज्य की किसी अन्य औद्योगिक, निवेश प्रोत्साहन, क्षेत्रीय अथवा विशेष प्रोत्साहन नीति/पैकेज के अंतर्गत समान प्रोत्साहनों का दावा अथवा उपभोग करने हेतु पात्र नहीं होगी, तथा ऐसे प्रोत्साहन अनन्य रूप से इस नीति के अंतर्गत ही उपलब्ध होंगे।

ii. कंडिका 4.1.1 के अंतर्गत पात्र केवल वैसी ग्रीनफील्ड स्टैंडअलोन इथेनॉल विनिर्माण इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगी, जो भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ई0बी0पी0) के अंतर्गत ईंधन–श्रेणी इथेनॉल का उत्पादन कर रही हों अथवा बिहार राज्य से बाहर औद्योगिक उपयोग हेतु इथेनॉल की आपूर्ति कर रही हों। इस प्रयोजनार्थ, वित्तीय स्वीकृति के समय इकाइयाँ निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत करेंगीः–

 i. इकाई, उसके बैंकरों एवं तेल विपणन कंपनियों (ओ0एम0सी0) के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय समझौते की प्रति, अथवा

 ii. इकाई द्वारा विनिर्मित इथेनॉल के क्रय हेतु तेल विपणन कंपनियों (ओ0एम0सी0) से प्राप्त क्रय आदेश, अथवा

 iii. इकाई द्वारा विनिर्मित इथेनॉल के क्रय हेतु क्रेता कंपनी के साथ क्रय समझौता/संविदा, अथवा

 iv. इकाई से इस आशय का शपथ–पत्र कि वह उपर्युक्त बिंदु का अनुपालन करेगी।

iii. इस नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु केवल वैसी सी0बी0जी0 विनिर्माण इकाइयाँ पात्र होंगी, जो भारत सरकार की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अंतर्गत सी0बी0जी0 का उत्पादन कर रही हों। इस प्रयोजनार्थ, वित्तीय स्वीकृति के समय इकाइयाँ निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत करेंगी –

 i. इकाई, उसके बैंकरों एवं तेल विपणन कंपनियों (ओ0एम0सी0)/गैस विपणन कंपनियों (जी0एम0सी0) के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय समझौते की प्रति, अथवा

 ii. इकाई द्वारा विनिर्मित सी0बी0जी0 के क्रय हेतु तेल विपणन कंपनियों (ओ0एम0सी0)/सी0जी0डी0 से प्राप्त क्रय आदेश, अथवा

 iii. इकाई द्वारा विनिर्मित सी0बी0जी0 के क्रय हेतु क्रेता कंपनी के साथ क्रय समझौता/संविदा, अथवा

 iv. इकाई से इस आशय का शपथ–पत्र कि वह उपर्युक्त बिंदु का अनुपालन करेगी।

iv. जहाँ कोई इकाई ऐसा शपथ–पत्र प्रस्तुत करती है, वहाँ इस नीति के अंतर्गत कोई प्रोत्साहन, अनुदान, प्रतिपूर्ति अथवा अन्य वित्तीय सहायता तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी, जब तक अपेक्षित उठाव संबंधी दस्तावेज विधिवत् प्रस्तुत एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा सत्यापित नहीं कर लिया जाता है।

v. प्रत्येक सी0बी0जी0 इकाई केवल नये संयंत्र एवं मशीनरी के साथ स्थापित की जाएगी, तथा उसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में निम्नलिखित का प्रावधान होगाः–

 i. शोधन इकाई के निकास पर तथा कैस्केड–फिलिंग अथवा कस्टडी–ट्रांसफर बिंदु पर सी0बी0जी0 का स्काडा–आधारित वास्तविक–समय मापन।

 ii. सी0बी0जी0 गुणवत्ता के मापन हेतु ऑनलाइन गैस क्रोमैटोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर भारतीय मानक के अनुरूप होना चाहिए और अंशांकित (कैलिब्रेटेड) होना चाहिए। इकाइयों द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

 iii. एक स्वचालित इंटरलॉक एवं शट–ऑफ प्रणाली, जो गैस की संरचना के अनुमेय सीमाओं से विचलित होने पर कैस्केड अथवा पाइपलाइन की ओर गैस प्रवाह को पृथक कर दे, तथा

 iv. वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुतीकरण के समय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में ऐसे उपकरणों के जियो–टैग चित्रों का समावेश। जिस सी0बी0जी0 इकाई के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में ऐसा प्रावधान न हो, उसे वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

vi. प्रत्येक सी0बी0जी0 इकाई अपने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में भार के अनुसार प्रस्तावित फीडस्टॉक मिश्रण घोषित करेगी, तथा वास्तविक मिश्रण का प्रतिवेदन सी0बी0जी0 एम0आई0एस0 के माध्यम से वार्षिक रूप से किया जाएगा।

5. इथेनॉल एवं सी0बी0जी0 विनिर्माण इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

यह नीति इथेनॉल एवं सी0बी0जी0 विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को और बेहतर बनाने हेतु पात्र इकाइयों को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता को मान्यता देती है।

5.1 मार्गदर्शी सिद्धांत

5.1.1 यह प्रावधान/सिद्धांत इस नीति के अंतर्गत सभी पात्र परियोजनाओं/इकाइयों पर लागू होंगे।

5.1.2 यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी, जो तिथि इस नीति की प्रभावी तिथि होगी, तथा कंडिका 5.6 में विनिर्दिष्ट अवधि तक प्रवृत्त रहेगी।

5.1.3 इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन अनुलग्नक–I(vii) में यथा परिभाषित इकाई की वाणिज्यिक संचालन की तिथि के पश्चात् ही प्रदान किया जाएगा।

5.1.4 इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा इस नीति की कंडिका 5.2 के अनुसार उच्चतम सीमा के अधीन होगी।

5.1.5 इस नीति के अंतर्गत अनुमान्य पूंजीगत अनुदान के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (बी0आई0आई0पी0पी0), 2016 तथा समय–समय पर अधिसूचित की जाने वाली किसी पश्चात्वर्ती नीति, संशोधन, परिवर्तन अथवा प्रतिस्थापन के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित परियोजना लागत के अंग के रूप में मानी जाएगी।

5.1.6 केवल वैसी ग्रीनफील्ड स्टैंडअलोन इथेनॉल इकाइयाँ, जो शून्य तरल निस्सरण (जेड0एल0डी0) के आधार पर स्थापित की गई हों, इस नीति के अंतर्गत विचारणीय होंगी। बहिःस्राव उपचार संयंत्र (ई0टी0पी0) की स्थापना की लागत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका 6.1(xxii) में उल्लिखित अनुसार अनुमोदित परियोजना लागत में सम्मिलित की जाएगी।

5.1.7 पात्र ग्रीनफील्ड स्टैंडअलोन इथेनॉल इकाइयों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना में किये गये व्यय को अनुमोदित परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा।

5.1.8 **विशेष वर्ग के निवेशको का दिये जाने वाले लाभः** अनुसूचित जातियाँ (एस0सी0), अनुसूचित जनजातियाँ (एस0टी0), अत्यंत पिछड़ा वर्ग, (ईबी0सी0) महिलाओं, दिव्यांगजनों, युद्ध विधवा, एसिड हमला पीड़ित एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों की स्थिति में इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा में अतिरिक्त 5 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा। जिन शर्तों के अधीन यह लाभ दिया जाना है तथा जिन अतिरिक्त वृद्धियों के साथ दिया जाना है, वे कंडिका 5.5 में उल्लिखित हैं।

5.1.9 ऐसे संयंत्र एवं मशीनरी, जो विनिर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं करते हैं, अनुमोदित परियोजना लागत के निर्धारण में नहीं गिने जाएँगेः परंतु कंडिका 5.1.6 में उल्लिखित इफ्लुएण्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ETP) की लागत, कंडिका 5.1.7 में उल्लिखित कैप्टिव विद्युत संयंत्र की लागत तथा कंडिका 4.2 की टिप्पणी (v) द्वारा अपेक्षित मापन, अनुश्रवण, इंटरलॉक एवं सुरक्षा प्रणालियों की लागत इसमें गिनी जाएगी।

5.1.10 इस नीति में जहाँ कहीं "वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ", "वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि" तथा "वाणिज्यिक संचालन की तिथि" का उल्लेख हैं, उनमें से प्रत्येक का अर्थ

अनुलग्नक–I(vii) में यथा परिभाषित वाणिज्यिक संचालन की तिथि के संदर्भ में समझा जाएगा।

5.2 प्रोत्साहनों की अधिसीमा

5.2.1 इस नीति के अंतर्गत अनुमान्य ब्याज अनुदान प्रोत्साहन एवं पूँजीगत अनुदान की कुल सीमा अनुमोदित परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5.2.2 कंडिका 5.1.8 में उल्लिखित विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए कंडिका 5.2.1 के अंतर्गत अधिसीमा अनुमोदित परियोजना लागत की 52.5 प्रतिशत होगी।

5.2.3 इस कंडिका के अंतर्गत अधिकतम सीमा की गणना वित्तीय स्वीकृति के समय की जाएगी तथा किसी भी प्रोत्साहन की अंतिम किस्त की विमुक्ति से पूर्व इसका पुनः सत्यापन किया जाएगा। जहाँ यह अधिकतम सीमा पूरी हो जायेगी, वहाँ शेष भुगतान किए जाने वाले प्रोत्साहन में घटा दिया जाएगा।

5.3 पात्र इकाइयों को कुल वित्तीय सहायता

इस नीति की अधिसूचना की तिथि से बिहार में पात्र विनिर्माण इकाइयाँ निम्नलिखित प्रोत्साहनों की हकदार होंगी, जो इस नीति द्वारा तथा इसके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं तथा कंडिका 5.2 की उच्चतम सीमा के अधीन हैं। क्रम संख्या 1 से 6 के संबंध में, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत तत्संबंधी प्रोत्साहनों की मात्रा एवं शर्तें इस नीति के प्रयोजनार्थ अंगीकृत की जाती हैं। कोई भी विनिर्माण इकाई इस नीति के अंतर्गत तथा साथ ही राज्य की किसी अन्य औद्योगिक, निवेश प्रोत्साहन, क्षेत्रीय अथवा विशेष प्रोत्साहन नीति/पैकेज के अंतर्गत समान प्रोत्साहनों का दावा अथवा उपभोग करने हेतु पात्र नहीं होगी, तथा ऐसे प्रोत्साहन अनन्य रूप से इस नीति के अंतर्गत ही उपलब्ध होंगे।

इस प्रकार पात्र इथेनॉल एवं सी0बी0जी0 इकाइयाँ निम्नलिखित वित्तीय सहायता की हकदार होंगीः–

i. संयंत्र पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता

इस नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान की मात्रा संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 15 प्रतिशत अथवा रु0 5.00 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

कंडिका 5.1.8 में उल्लिखित विशेष वर्ग के निवेशकों की स्थिति में, इस नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान की मात्रा संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 15.75 प्रतिशत अथवा रु0 5.25 करोड़, जो भी कम हो, होगी।

ii. फीडस्टॉक एकत्रीकरण सहायता

उपर्युक्त पूंजीगत अनुदान के अतिरिक्त, राज्य नोडल एजेंसी निबंधित एग्रीगेटरों तथा प्रत्यक्ष रूप से फीडस्टॉक प्राप्त करने वाली इकाइयों बायोमास एकत्रीकरण एवं हैंडलिंग मशीनरी को बेलर, रेकर, ट्रॉली, श्रेडर, लोडर एवं परिवहन उपकरणों सहित के क्रय एवं परिनियोजन में सहायता प्रदान करेगी। इस मद के अंतर्गत वित्तीय सहायता पात्र व्यय के 15 प्रतिशत तक उपलब्ध होगी, जो प्रति इकाई रु0 5.00 करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन होगी।

टिप्पणीः किसी पात्र इकाई द्वारा इस कंडिका के अंतर्गत तथा कंडिका 5.3(i) के पूंजीगत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त कुल वित्तीय सहायता रु0 5.00 करोड़ से, अथवा विशेष वर्ग के निवेशक की स्थिति में रु0 5.25 करोड़ से, अधिक नहीं होगी, तथा एक मद के अधीन स्वीकृत कोई भी सहायता दूसरे मद के अधीन शेष पात्रता के निर्धारण में गिनी जाएगी।

iii. अन्य प्रोत्साहन

क्र0	प्रोत्साहन का प्रकार	प्रोत्साहन की मात्रा
1.	स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क	(क) सरकार द्वारा आई0डी0ए0/बियाडा को आवंटित भूमि के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा। (ख) वैसे सभी नई औद्योगिक इकाईयाँ जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार अथवा इसके बाहर स्थापित होती है, को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् औद्योगिक भूमि/शेड के लीज/विक्री/हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क/निबंधन शुल्क की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति देय होगी। पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी की प्रतिपूर्ति केवल पहली बार के लिए स्वीकृत की जाएगी। लीज/पट्टा/बिक्री/हस्तांतरण के बाद चरणो में यह सुविधा लागू नही होगी। यह प्रोत्साहन केवल नई इकाइयों को अनुमान्य होगा। (ग) इकाई द्वारा वांछित भूमि का पूर्ण विवरण डी0पी0आर0 में तथा वैसे बैंक या वित्तीय संस्थान, जो इकाई को सावधि ऋण प्रदान करेंगे, के द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन में वर्णित होगा।
2.	भूमि संपरिवर्तन शुल्क	कृषि भूमि को औद्योगिक श्रेणी की भूमि में सम्परिवर्तन के लिए लगाए गए भूमि संपरिवर्तन शुल्क"/भूमि उपयोग में परिर्वतन हेतु लगाये गये शुल्क को इकाई के व्यवसायिक उत्पादन में आने के पश्चात् शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा।
3.	ब्याज अनुदान प्रोत्साहन	(क) ऐसी सभी उपर्युक्त इकाइयों, जिन्हें किसी बैंक के द्वारा या RBI/सेबी के पंजीकृत वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण प्राप्त है, को राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देय होगा। (ख) ब्याज अनुदान हेतु ब्याज दर 10 प्रतिशत या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज की दर, जो भी कम हो, होगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 12 प्रतिशत का ब्याज दर अनुदान अनुमन्य होगा। (ग) इस अनुदान की उच्चतम सीमा अनुमोदित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी, जो अधिकतम रु0 20.00 करोड़ के अधीन होगी। (घ) अनुदान की राशि का वितरण सावधि ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा निर्धारित सावधि ऋण की पुनर्भुगतान अनुसूची से संबद्ध किस्तों में किया जाएगा। इकाई में प्रवर्तक के अंशदान पर किसी भी रूप में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। जहाँ प्रवर्तक इकाई हेतु कोई सावधि ऋण नहीं लेते हैं, वहाँ वे इस प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगे। (ड़) सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों हेतु सी0जी0टी0एम0एस0ई0 शुल्क का भुगतान अतिरिक्त रूप से किया जाएगा। (च) ब्याज अनुदान केवल वैसे पात्र सावधि ऋणों पर अनुमान्य होगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से पूर्व स्वीकृत एवं वितरित किए गए हों तथा अनुमोदित परियोजना लागत में उपयोग किए गए हों। वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के पश्चात् स्वीकृत अथवा वितरित कोई सावधि ऋण अथवा उसका कोई भाग इस नीति के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं होगा। (छ) लाभों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु, उसी सावधि ऋण के संबंध में कृषि अवसंरचना कोष (ए0आई0एफ0) अथवा किसी अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा प्राप्त कोई ब्याज अनुदान, ब्याज छूट अथवा समान वित्तीय सहायता इस नीति के अंतर्गत देय ब्याज अनुदान से समायोजित की जाएगी।
4.	कर संबंधी प्रोत्साहन	(क) सभी नई इकाइयाँ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से राज्य सरकार के खाते में जमा स्वीकृत एस0जी0एस0टी0 के सापेक्ष 100

क्र0	प्रोत्साहन का प्रकार	प्रोत्साहन की मात्रा
		प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की हकदार होंगी (इसमें विशुद्ध रूप से व्यापारिक कारोबार से उत्पन्न उनके द्वारा भुगतान किया गया कोई कर सम्मिलित नहीं होगा)। एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आई0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 क्रेडिट के समायोजन के पश्चात्, इस पैकेज के कार्यान्वयन की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि हेतु केवल देय शुद्ध कर पर लागू होगी, जिसकी उच्चतम सीमा अनुमोदित परियोजना लागत का 100 प्रतिशत होगी। (ख) सभी नई इकाइयाँ उसी इकाई द्वारा उपभोग की गई अथवा बी0एस0पी0एच0सी0एल0 को निर्यात की गई विद्युत, जिसमें कैप्टिव विद्युत सम्मिलित है, पर देय विद्युत शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक, उपर्युक्त परिभाषित समग्र सीमा के अधीन, पात्र होंगी। बी0एस0पी0एच0सी0एल0 से भिन्न संस्थाओं को निर्यात की गई कैप्टिव विद्युत पर विद्युत शुल्क में छूट उपलब्ध नहीं होगी।
5.	रोजगार लागत अनुदान	नई इकाइयों हेतु बिहार के अधिवासी कर्मचारियों के संबंध में पाँच वर्षों की अवधि तक कर्मचारी राज्य बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना में अंशदान पर व्यय की 50 प्रतिशत (पुरुष कर्मियों की स्थिति में) एवं 100 प्रतिशत (महिला कर्मियों की स्थिति में) प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कर्मचारियों हेतु रु0 1,000 प्रतिमाह तथा सामान्य कर्मचारियों हेतु रु0 500 प्रतिमाह होगी।
6.	कौशल विकास अनुदान	प्रति कर्मचारी रु0 20,000 अथवा बिहार कौशल विकास मिशन (बी0एस0डी0एम0) की दरें, जो भी कम हो, की दर से कौशल विकास अनुदान दिया जायेगा। यह प्रोत्साहन बिहार के अधिवासी कर्मचारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु लागू होगा।

5.4 केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियों तथा योजनाओं के साथ समन्वय

i. गोबरधन योजना, बाजार विकास सहायता योजना, बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी योजना तथा कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन सहित भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के साथ समेकन इस नीति के अंतर्गत अनुमान्य होगा, बशर्ते एक ही व्यय मद हेतु वित्तपोषण की पुनरावृत्ति न हो। निवेशक वित्तीय स्वीकृति हेतु आवेदन के समय तथा तत्पश्चात् प्रतिवर्ष, ऐसी नीतियों एवं योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रकार एवं मात्रा (Quantun) की घोषणा करेंगे।

ii. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 तथा राज्य सरकार की किसी अन्य औद्योगिक अथवा निवेश प्रोत्साहन नीति, योजना अथवा पैकेज के साथ समेकन इस नीति के अंतर्गत अनुमान्य नहीं होगा। कंडिका 5.3 में उल्लिखित प्रत्येक प्रोत्साहन इस नीति द्वारा तथा इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है, तथा कोई भी इकाई ऐसा कोई प्रोत्साहन राज्य सरकार की किसी अन्य नीति, योजना अथवा पैकेज के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से प्राप्त नहीं करेगी।

iii. भारत सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी से प्राप्त कोई पूंजीगत अनुदान, अनुदान, व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण अथवा समान पूंजीगत सहायता, इस नीति के अंतर्गत अनुमान्य राज्य प्रोत्साहन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परियोजना लागत से घटा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, जहाँ कोई पात्र इकाई भारत सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी से इस नीति के अंतर्गत प्रदत्त प्रोत्साहन की प्रकृति के समान कोई प्रोत्साहन प्राप्त करती है, वहाँ लाभों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु ऐसे प्रोत्साहन की मात्रा इस नीति के अंतर्गत अनुमान्य तत्संबंधी राज्य प्रोत्साहन से समायोजित की जाएगी।

दृष्टांत 1 (पूंजीगत अनुदान):

जहाँ किसी इकाई की अनुमोदित परियोजना लागत रु0 100 करोड़ है तथा इकाई ने भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत रु0 20 करोड़ का पूंजीगत अनुदान प्राप्त किया है, वहाँ इस नीति के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान की गणना के प्रयोजनार्थ शुद्ध पात्र परियोजना लागत रु0 80 करोड़ मानी जाएगी।

दृष्टांत 2 (ब्याज अनुदान):

जहाँ कोई निवेशक किसी केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त करता है तथा सावधि ऋण पर लागू ब्याज की दर 10 प्रतिशत है, वहाँ इकाई इस नीति के अंतर्गत केवल शेष 4 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगी, जो कंडिका 5.3 में विहित अधिकतम सीमाओं तथा कंडिका 5.2 में विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा के अधीन होगी।

iv. इस कंडिका की कोई बात पात्रता, गणना एवं प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 एवं उसके अधीन बनाई गई नियमावली की परिभाषाओं, पात्रता शर्तों, क्षेत्रीय वर्गीकरणों तथा अनुमोदित परियोजना लागत संबंधी प्रावधानों के इस नीति के अंतर्गत इकाइयों पर निरंतर लागू होने को प्रभावित नहीं करेगी।

5.5 विशेष वर्ग के उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज

राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन, युद्ध विधवा, एसिड हमला पीड़ित एवं तृतीय लिंग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वे इस नीति के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान के हकदार होंगे, बशर्ते इन श्रेणियों के उद्यमी इकाई का प्रवर्तन करने वाली कंपनी/फर्म में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी धारित करते हों।

5.6 नाम एवं प्रवृत्ति की अवधि

इस नीति को बिहार बॉयो–फ्यूल एवं कम्प्रेस्ड बायो–गैस (सी0बी0जी0) उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026 कहा जा सकेगा। यह इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी तथा उस तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक, अथवा बिहार सरकार द्वारा संशोधित, अधिक्रमित अथवा वापस लिए जाने की उससे पूर्व की तिथि तक, प्रवृत्त रहेगी, परंतु इस नीति की समाप्ति, अधिक्रमण अथवा वापसी से पूर्व इसके अंतर्गत स्वीकृत प्रोत्साहन, ऐसी समाप्ति, अधिक्रमण अथवा वापसी के होते हुए भी स्वीकृति की शर्तों के अनुसार तथा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस इकाइयों की स्थिति में कंडिका 5.7(iv) में विनिर्दिष्ट अवधि तक वितरित किया जाता रहेगा।

5.7 उद्यमियों एवं उद्योग विभाग द्वारा समय–सीमा का अनुपालन

(i) **स्टेज–1 क्लीयरेंसः** उद्यमियों को स्टेज–1 क्लीयरेंस हेतु उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ii) **बियाडा द्वारा भूमि आवंटनः** भूमि आवंटन हेतु उद्यमियों को बियाडा पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसका निष्पादन बियाडा द्वारा, यथा समय–समय पर संशोधित प्रचलित बियाडा भू–आवंटन नीति के अनुसार भूमि की उपलब्धता के आधार पर, अगले 30 कार्य दिवसों के भीतर किया जाएगा।

(iii) **वित्तीय स्वीकृतिः** वित्तीय स्वीकृति हेतु उद्यमियों को उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर आवेदन करना आवश्यक होगा।

(iv) इस नीति के अंतर्गत कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सी0बी0जी0) इकाइयों हेतु अनुदान की विमुक्ति/भुगतान की अवधि 05 वर्ष होगी।

5.8 सहायक अवसंरचना विकास

इस नीति के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु पहुँच पथ, विद्युत एवं जल आपूर्ति, गैस पाइपलाइन, तथा जल निकासी एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के लिए, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली मात्रा में, वित्तीय सहायता एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। यह लाभ फीडस्टॉक भंडारण सुविधाएँ स्थापित करने वाले विकासकर्ताओं को भी दिया जा सकेगा। आवश्यकताओं की पहचान जिला सशक्त समिति द्वारा की जाएगी तथा संबंधित विभागों के वार्षिक कार्य कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने हेतु राज्य नोडल एजेंसी द्वारा उनका समेकन किया जाएगा।

5.9 भूमि लीज सहायता

इथेनॉल अथवा बायो–सी0एन0जी0 इकाइयाँ स्थापित करने वाले पात्र प्रवर्तक, यथा समय–समय पर संशोधित प्रचलित बियाडा भू–आवंटन नीति तथा समय–समय पर निर्गत अन्य लागू विनियमों के अंतर्गत परिभाषित प्रावधानों, निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, बियाडा द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में लीज पर भूमि आवंटन हेतु पात्र होंगे।

6. नीति कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण

6.1 नीति कार्यान्वयन

i. बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 के लागू प्रावधानों के तहत गठित कार्यकारी समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य नोडल एजेंसी" के रूप में कार्य करेगी।

ii. राज्य नोडल एजेंसी के सदस्य निम्नवत होंगे:

i) मुख्य सचिव, बिहार सरकार - अध्यक्ष
ii) विकास आयुक्त, बिहार सरकार - उपाध्यक्ष
iii) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य सचिव
iv) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
v) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, ऊर्जा विभाग - सदस्य
vi) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, श्रम संसाधन विभाग - सदस्य
vii) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - सदस्य
viii) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, नगर विकास विभाग - सदस्य
ix) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग - सदस्य
x) अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद - सदस्य
xi) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यटन विभाग - सदस्य
xii) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य
xiii) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य
xiv) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग - सदस्य
xv) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, विधि विभाग - सदस्य
xvi) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य
xvii) आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य कर - सदस्य

iii. बिहार सरकार राज्य में ईंधन–श्रेणी इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बॉयोगैस विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगी। इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बॉयोगैस विनिर्माण इकाइयों हेतु मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा बिहार सरकार के अन्य विभागों/एजेंसियों से अपेक्षित सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, अनुमतियाँ एवं स्वीकृतियाँ उद्योग विभाग, बिहार सरकार के सिंगल विण्डो क्लीयरेंस (एस0डब्ल्यू0सी0) पोर्टल (https://swc2.bihar.gov.in) के माध्यम से प्रदान की जाएँगी, तथा इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बॉयोगैस विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने वाले निवेशकों को बिहार

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) से भूमि आवंटन, निजी भूमि के निबंधन एवं भू–उपयोग संपरिवर्तन तथा अन्य लागू स्वीकृतियों/अनुज्ञप्तियों/अनापत्ति प्रमाण–पत्रों में सहयोगात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।

iv. राज्य नोडल एजेंसी किसी अन्य विभाग, सांविधिक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, तेल अथवा गैस विपणन कंपनी, तकनीकी संस्थान अथवा हितधारक के प्रशासनिक प्रधान अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जब भी ऐसे विभाग, एजेंसी अथवा हितधारक से संबंधित कोई विषय विचाराधीन हो, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अपनी बैठकों में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित कर सकेगी।

v. बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA) बायोमास मूल्यांकन की व्यवहार्यता (feasibility) और संभावना की समीक्षा के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। BREDA राज्य सरकार के सेवा शुल्क (service charge) के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन और आकलन के लिए शुल्क का दावा करेगी।

vi. राज्य नोडल एजेंसी के कार्य निम्नवत् होंगेः –

i. राज्य में इथेनॉल/बॉयो–फ्यूल/सी0बी0जी0 क्षेत्र का प्रोत्साहन एवं विकास।

ii. इस नीति के अंतर्गत परियोजनाओं का आद्योपांत सुगमीकरण, जिसमें बियाडा द्वारा भूमि आवंटन, निजी भूमि के निबंधन, भू–उपयोग के संपरिवर्तन तथा अन्य सभी लागू स्वीकृतियों, अनुज्ञप्तियों एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्रों के संबंध में निवेशकों को सहयोगात्मक सहायता प्रदान करना।

iii. नीतिगत मार्गदर्शन एवं अंतर्विभागीय समन्वय।

iv. लागू अनुमोदन तंत्रों के माध्यम से परियोजना स्वीकृतियों का प्रसंस्करण एवं अनुश्रवण।

v. परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी तथा विहित मुख्य कार्य–निष्पादन संकेतकों के सापेक्ष प्रगति का अनुश्रवण।

vi. परियोजना अनुश्रवण प्रणालियों एवं डैशबोर्डों का प्रबंधन।

vii. जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं सुगमीकरण तंत्रों का पर्यवेक्षण एवं समन्वय स्थापित करना।

viii. परियोजना संबंधी शिकायतों की समीक्षा तथा अंतर्विभागीय हस्तक्षेप अपेक्षित करने वाले मुद्दों का समाधान।

ix. परियोजना योजना एवं संबद्ध अवसंरचना का पी0एम0 गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखण, तथा

x. इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक ऐसे अन्य कार्य अथवा निर्णय।

vii. जिला सशक्त समिति – इस नीति के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं सुगमीकरण हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला सशक्त समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव होंगे। इसके सदस्य निम्नलिखित होंगेः–

i. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र (DIC) –**सदस्य सचिव**
ii. उप विकास आयुक्त –**सदस्य**
iii. संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी –**सदस्य**
iv. जिला कृषि पदाधिकारी –**सदस्य**
v. जिला परिवहन पदाधिकारी –**सदस्य**
vi. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका/बी0आर0एल0पी0एस0 –**सदस्य**
vii. जिला आपूर्ति पदाधिकारी –**सदस्य**
viii. जिला पशुपालन पदाधिकारी –**सदस्य**

ix. विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालक अभियंता/प्रतिनिधि –**सदस्य**
x. बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) के प्रतिनिधि –**सदस्य**
xi. जिले में कार्यरत गन्ना उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, जहाँ लागू हो –**सदस्य**
xii. जिला पदाधिकारी द्वारा नामित स्थानीय कृषक उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) के अधिकतम दो प्रतिनिधि –**सदस्य**
xiii. नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य पदाधिकारी, संस्था अथवा हितधारक –**सदस्य**।

viii. जिला सशक्त समिति के कार्य निम्नवत् होंगे –

i. जिला स्तर पर इस नीति का कार्यान्वयन।

ii. परियोजना विकास एवं कार्यान्वयन का सुगमीकरण एवं समन्वय।

iii. इस नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों एवं लाभों का प्रसंस्करण एवं सुगमीकरण।

iv. किसानों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श से कृषि अवशेषों, मवेशियों के गोबर एवं अन्य बायोमास फीडस्टॉक के उचित जिलाव्यापी मूल्यों का निर्धारण।

v. बायोमास आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज एवं फीडस्टॉक एकत्रीकरण तंत्रों का समन्वय एवं सुदृढ़ीकरण।

vi. परियोजना कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित भूमि आवंटन, सांविधिक अनुमोदनों, उपयोगिता संयोजनों एवं अन्य स्वीकृतियों का सुगमीकरण।

vii. लघुतर नगर निकायों, पंचायत समितियों एवं परियोजना विकासकर्ताओं हेतु क्लस्टर निर्माण एवं फीडस्टॉक कैचमेंट के एकत्रीकरण का सुगमीकरण।

viii. फीडस्टॉक उपलब्धता की प्रखंडवार एवं जिलावार सूचियों का निर्माण, संधारण एवं आवधिक अद्यतन, जिनमें कृषि अवशेष, डेयरियों एवं गौशालाओं से प्राप्त मवेशियों का गोबर, पोल्ट्री लिटर (litter), प्रेस मड, आसवनी स्पेंट वॉश, पृथक किया गया जैविक नगरीय ठोस अपशिष्ट, खाद्य एवं रसोई अपशिष्ट, सीवेज उपचार संयंत्र का स्लज तथा नेपियर घास जैसी समर्पित ऊर्जा फसलें सम्मिलित हैं।

ix. उत्पादन एवं फीडस्टॉक उपलब्धता, परियोजना प्रगति एवं कार्यान्वयन की स्थिति पर राज्य नोडल एजेंसी को आवधिक प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण।

x. इस नीति के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र के प्रथम स्तर के रूप में कार्य करना, तथा

xi. राज्य नोडल एजेंसी द्वारा समय–समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

ix. जिला सशक्त समिति के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील ऐसे निर्णय की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर राज्य नोडल एजेंसी के समक्ष की जा सकेगी।

x. इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों का प्रसंस्करण बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 तथा समय–समय पर उनके अधीन निर्गत किसी पश्चात्वर्ती नीति, अधिनियम, नियम, अधिसूचना, प्रत्यायोजित शक्तियों, परिवर्तनों अथवा संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

6.2 नीति अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण

i. इस नीति के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी तथा इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक पाए जाने पर अपेक्षित सुगमीकरण एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ii. उद्योग विभाग द्वारा एक वेब–आधारित संवाद तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से सुझाव एवं शिकायतें सीधे उद्योग विभाग को संबोधित की जा सकेंगी।

iii. राज्य नोडल एजेंसी आँकड़ों को समेकित करते हुए एक राज्य स्तरीय सी0बी0जी0 एम0आई0एस0 संधारित करेगी, जिसकी वार्षिक समीक्षा कार्यकारी समिति द्वारा उसके द्वारा अधिसूचित मुख्य कार्य–निष्पादन संकेतकों के सापेक्ष की जाएगी, जिनमें संस्वीकृत एवं कमीशन की गई क्षमता, क्षमता उपयोग, आवधिक उत्पादन, फीडस्टॉक एकत्रीकरण की मात्रा, एफ0ओ0एम0 एवं एल0एफ0ओ0एम0 का उठाव, अनुमोदनों के निष्पादन का औसत समय तथा शिकायतों के निष्पादन का औसत समय सम्मिलित होंगे।

iv. इस नीति के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र का संचालन उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाएगा, जो बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह तंत्र दो स्तरीय होगा, जिसमें जिला सशक्त समिति प्रथम स्तर पर शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में तथा राज्य नोडल एजेंसी द्वितीय स्तर पर अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगी। शिकायतों की प्राप्ति की पावती देने तथा उनके निपटाने की समय–सीमा निर्धारित कर विशिष्ट पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। साथ ही, उक्त पोर्टल पर प्रत्येक शिकायत की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी एवं ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

6.3 कार्यक्रम जागरूकता एवं क्षमता निर्माण

i. घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु विभिन्न स्तरों पर जागरूकता/क्षमता निर्माण के कार्यक्रम संचालित किए जाएँगे। इससे जहाँ एक ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर स्वरोजगार के अवसरों हेतु बॉयो–फ्यूल क्षेत्र की भूमिका एवं महत्ता स्थापित होगी।

ii. मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर बल दिया जाएगा। इस हेतु विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण के लिए सरकारी एवं अन्य संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जैव ऊर्जा क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

iii. राज्य नोडल एजेंसी मानक संचालन प्रक्रियाएँ निर्गत करेगी तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों, नगर निकायों के कर्मियों तथा कृषक उत्पादक संगठन, प्राथमिक कृषि साख समिति एवं जीविका एग्रीगेटरों हेतु फीडस्टॉक प्रणालियों, पृथक्करण एवं संग्रहण प्रोटोकॉल, संविदा एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं पर आवधिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित करेगी। प्रशिक्षण कैलेंडर प्रतिवर्ष सिंगल विण्डो पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा।

iv. राज्य नोडल एजेंसी प्रौद्योगिकी सुधार, डाइजेस्टर दक्षता में वृद्धि, फीडस्टॉक उपयोग, प्रक्रिया अनुकूलन, प्रौद्योगिकी सत्यापन तथा मूल्य–संवर्धित एफ0ओ0एम0, एल0एफ0ओ0एम0 एवं पी0आर0ओ0एम0 उत्पादों के विकास हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, क्षेत्रीय एन0आई0टी0 एवं आई0आई0टी0 सहित तकनीकी संस्थानों, अनुसंधान निकायों तथा ब्रेडा की तकनीकी शाखा के साथ संस्थागत संबंध स्थापित करेगी। एक प्रौद्योगिकी–अनुमोदन तंत्र व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों एवं फीडस्टॉक स्रोतों को मान्यता प्रदान करेगा।

6.4 सिंगल विण्डो प्रणाली एवं डिजिटल एकीकरण

swc2.bihar.gov.in पर स्थित बिहार सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल पर राज्य नोडल एजेंसी द्वारा प्रशासित एक समर्पित सी0बी0जी0 मॉड्यूल संचालित होगा, जो निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगाः–

i. अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुमतियों, निबंधनों एवं प्रोत्साहनों हेतु सभी आवेदनों का आद्योपांत ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, प्रसंस्करण, वास्तविक–समय ट्रैकिंग एवं अनुश्रवण।

ii. एक स्वतः अग्रसारण तंत्र, जिसके अंतर्गत अधिसूचित समय–सीमा के भीतर निष्पादित न किया गया कोई भी आवेदन स्वतः राज्य नोडल एजेंसी के सदस्य सचिव को अग्रसारित हो जाएगा।

iii. सभी गैर–सांविधिक स्वीकृतियों हेतु, जहाँ अधिसूचित समय–सीमा के भीतर कोई निर्णय संसूचित नहीं किया जाता है, मानित स्वीकृति प्रमाण–पत्र के सृजन सहित मानित स्वीकृति; पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत सहमतियों सहित सांविधिक स्वीकृतियाँ मानित स्वीकृति से स्पष्ट रूप से अपवर्जित होंगी तथा उन्हें केवल पारदर्शिता हेतु पोर्टल पर ट्रैक किया जाएगा, तथा

iv. नगर निकायों एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट से संबंधित विषयों हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के यू0पी0वाई0ओ0जी0 प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण।

6.5 समयबद्ध स्वीकृति ढाँचा

इस नीति के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु अपेक्षित सभी स्वीकृतियों पर निम्नलिखित समय–सीमाओं के भीतर निर्णय लिया जाएगाः–

स्वीकृति	निर्णय की समय–सीमा
स्थापना हेतु सहमति/संचालन हेतु सहमति (बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद)	पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर; जहाँ इकाई की श्रेणी हेतु किसी सहमति की आवश्यकता न हो, वहाँ अनुरोध के 7 दिनों के भीतर इस आशय की लिखित पावती
पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) की अनुज्ञप्तियाँ एवं अनुमोदन	शासी नियमावली के अनुसार
बियाडा भूमि का आवंटन	बियाडा/सिंगल विण्डो पोर्टल पर पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 30 कार्य दिवसों के भीतर
विद्युत संयोजन	राज्य विद्युत नियामक आयोग के लागू विनियमों और संबंधित डिस्कॉम के सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार, पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर।
जल संयोजन	पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर
अन्य गैर–सांविधिक अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अनुमतियाँ	पोर्टल पर अधिसूचित समय–सीमा के भीतर
सांविधिक स्वीकृतियाँ (पर्यावरणीय एवं अन्य)	शासी संविधि के अनुसार

इस नीति के अंतर्गत परियोजनाओं को विद्युत एवं जल संयोजन के प्रयोजनार्थ प्राथमिकता अवसंरचना के रूप में अभिहित किया जाएगा

6.6 एकीकृत फीडस्टॉक योजना ढाँचा

6.6.1 जिला एवं प्रखंड स्तरीय बायोमास आकलन

राज्य नोडल एजेंसी, ब्रेडा, संबंधित विभागों एवं जिला सशक्त समितियों के माध्यम से, राज्य की प्रति वर्ष 32 मिलियन टन की सांकेतिक रूप से आकलित क्षमता के आधार पर, कृषि अवशेष, पशु गोबर, नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्रेस मड, सीवेज एवं अन्य पात्र फीडस्टॉक को सम्मिलित करते हुए जिलावार एवं प्रखंडवार बायोमास उपलब्धता आकलन करेगी। आकलनों को सिंगल विण्डो पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा तथा प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार अद्यतन किया जाएगा। प्रथम आकलन इस प्रावधान की अधिसूचना की तिथि से छह माह के भीतर पूर्ण एवं प्रकाशित किया जाएगा।

6.6.2 कैचमेंट क्षेत्र आवंटन एवं अनन्यता

i. प्रत्येक निबंधित संयंत्र को आकलित अधिशेष के सापेक्ष उसकी अनुमोदित टी0पी0डी0 क्षमता के अनुरूप आकार का एक कैचमेंट क्षेत्र, जिसके भीतर उसके स्रोत संबंधी अधिकार अनन्य होंगे, तथा

एक विस्तृत कमांड क्षेत्र, जिसके भीतर वह अधिशेष के अनावंटित रहने की स्थिति में गैर–अनन्य आधार पर फीडस्टॉक प्राप्त कर सकेगा तथा जिसके भीतर उसकी एकत्रीकरण, भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ अवस्थित की जा सकेंगी, आवंटित किया जाएगा। कैचमेंट क्षेत्र राज्य नोडल एजेंसी द्वारा परिभाषित एवं अधिसूचित किया जाएगा।

ii. राज्य नोडल एजेंसी क्षमता–आधारित श्रेणियों के माध्यम से सांकेतिक संयंत्र–आकार श्रेणियाँ एवं तत्संबंधी आवंटन त्रिज्याएँ अधिसूचित करेगी, तथा कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं एवं भावी आवश्यकताओं के आधार पर ऐसी श्रेणियों एवं त्रिज्याओं में समय–समय पर संशोधन, परिवर्तन अथवा युक्तिकरण कर सकेगी।

iii. किसी प्रखंड के भीतर परियोजनाओं का निबंधन इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि प्रखंड की आकलित अधिशेष बायोमास–से–सी0बी0जी0 क्षमता का कुल मिलाकर 75 प्रतिशत से अधिक आवंटित न हो। शेष भाग बायोमास के वैकल्पिक उपयोगों, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा फीडस्टॉक आपूर्ति की दीर्घकालिक स्थिरता हेतु आरक्षित रहेगा।

iv. किसी प्रखंड की आवंटन–योग्य क्षमता के पूर्णतः आवंटित हो जाने पर, उसी कैचमेंट क्षेत्र में किसी प्रतिस्पर्धी परियोजना का निबंधन नहीं किया जाएगा। जिला सशक्त समिति, जहाँ आकलित अधिशेष विद्यमान हो, किसी परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र का विस्तार निकटवर्ती पंचायत समिति तक किए जाने की अनुशंसा राज्य नोडल एजेंसी से कर सकेगी, तथा राज्य नोडल एजेंसी इस प्रकार अनुमत किसी विस्तार को अधिसूचित करेगी। किसी विद्यमान अथवा निबंधित संयंत्र के पाँच किलोमीटर के भीतर प्रस्तावित किसी नई परियोजना का निबंधन केवल जिला सशक्त समिति की पूर्व सहमति से किया जाएगा, जो प्रभावित कैचमेंट क्षेत्रों में आकलित अधिशेष की जाँच के उपरांत अभिलिखित की जाएगी।

v. अनन्यता इस शर्त के अधीन होगी कि संयंत्र उस कैचमेंट क्षेत्र के संबंध में निबंधित दीर्घकालिक फीडस्टॉक संविदा धारित करता हो, तथा उक्त संविदा की समाप्ति अथवा पर्यवसान पर अनन्यता व्यपगत हो जाएगी।

vi. कुशल लॉजिस्टिक्स एवं वर्षभर फीडस्टॉक आपूर्ति के समर्थन हेतु, परियोजना विकासकर्ताओं, एग्रीगेटरों, कृषक उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, सहकारी समितियों, पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा, राज्य सरकार के सुगमीकरण सहयोग से, अभिहित कमांड क्षेत्रों के भीतर फीडस्टॉक एकत्रीकरण एवं भंडारण केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगे।

6.6.3 दीर्घकालिक फीडस्टॉक लिंकेज संविदाएँ

i. विकासकर्ता, एग्रीगेटर एवं किसानों के मध्य दीर्घकालिक फीडस्टॉक संविदाओं का सुगमीकरण जिला सशक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

ii. चीनी मिलों, कृषि मंडियों (ए0पी0एम0सी0), गौशालाओं, पशुशालाओं, डेयरियों, नगर निकायों, कृषक उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि साख समितियों, सहकारी समितियों एवं जीविका को दीर्घकालिक फीडस्टॉक संविदाएँ निष्पादित करने हेतु राज्य नोडल एजेंसी द्वारा सुगमीकरण प्रदान किया जाएगा। गौशाला एवं गोबर लिंकेज का अतिरिक्त सुगमीकरण पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किया जाएगा।

iii. जिला सशक्त समिति विकेन्द्रीकृत फीडस्टॉक लॉजिस्टिक्स के समर्थन हेतु सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों अथवा निबंधित एग्रीगेटरों के माध्यम से ग्राम स्तर पर मवेशियों के गोबर के एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

6.7 एफ0ओ0एम0 / एल0एफ0ओ0एम0 का संरचित बाजार विकास

6.7.1 उर्वरक वितरण माध्यमों में एकीकरण

i. एफ0ओ0एम0, एल0एफ0ओ0एम0 एवं पी0आर0ओ0एम0 को राज्य के उर्वरक वितरण नेटवर्क में एकीकृत किया जाएगा, तथा अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक विक्रेताओं, सहकारी समितियों, कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों को रासायनिक उर्वरकों के साथ–साथ सी0बी0जी0 से व्युत्पन्न जैव–खाद के भंडारण एवं विपणन हेतु सक्षम एवं प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. राज्य नोडल एजेंसी संगठित एकत्रीकरण, गुणवत्ता मानकीकरण तथा संरचित विपणन एवं वितरण हेतु जैविक खाद सहकारी समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

iii. राज्य नोडल एजेंसी एफ0ओ0एम0 एवं एल0एफ0ओ0एम0 को मानकीकृत, परिवहन–योग्य एवं बाजार हेतु तैयार जैविक उर्वरक में परिवर्तित करने के लिए ग्रेनुलेशन इकाइयों सहित डाइजेस्टेट मूल्य–संवर्धन सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करेगी।

6.7.2 सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से माँग सृजन

i. कृषि विभाग कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों सहित अपने प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से एफ0ओ0एम0, एल0एफ0ओ0एम0 एवं पी0आर0ओ0एम0 के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा।

ii. सार्वजनिक क्रय एवं मृदा–स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से, तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत माँग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii. कृषि, उद्यान, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा ग्रामीण विकास विभाग इस नीति के अंतर्गत उत्पादित एफ0ओ0एम0 एवं एल0एफ0ओ0एम0 के उपयोग को वृक्षारोपण, पौधशाला, जलछाजन एवं मृदा–स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा सार्वजनिक क्रय प्रणालियों में एकीकृत करेंगे एवं प्राथमिकता देंगे।

6.8 गोबरधन एवं अन्य केन्द्रीय योजनाओं के साथ अभिसरण

i. इस नीति के अंतर्गत निबंधित इकाई को गोबरधन योजना के प्रत्येक घटक के अंतर्गत उसके आवेदनों में, जब एवं जैसा अपेक्षित हो, राज्य नोडल एजेंसी द्वारा सुगमीकरण प्रदान किया जाएगा।

ii. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग गौशालाओं एवं विकासकर्ताओं के मध्य दीर्घकालिक गौशाला गोबर–आपूर्ति संविदाओं का सुगमीकरण करेगा, तथा राज्य नोडल एजेंसी गोबरधन हेतु राज्य नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय करेगी, ताकि इस क्षेत्र के संबंध में राज्य द्वारा भारत सरकार के समक्ष एकल एवं सुसंगत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

iii. राज्य नोडल एजेंसी बायो–सी0एन0जी0 इकाइयों को गोबरधन पोर्टल पर सुनिश्चित उठाव अनुरोध दर्ज करने में सहायता प्रदान करेगी।

6.9 परियोजना विकास, पी0पी0पी0 एवं कमीशनिंग

परियोजनाएँ सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP) पद्धति के माध्यम से, जिसमें ऐसी संयुक्त उद्यम (JV) संस्थाएँ सम्मिलित हैं जिनमें किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी0एस0यू0) की इक्विटी 51 प्रतिशत से अन्यून हो, कार्यान्वित की जा सकेंगी। इस प्रावधान के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी अन्य अधिसूचनाएँ, दिशानिर्देश अथवा निदेश निर्गत किए जा सकेंगे।

7. सामान्य शर्तें

i. इस नीति के अंतर्गत निबंधित प्रत्येक इकाई अपने उत्पाद का उत्पादन, भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन एवं आपूर्ति भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा क्षेत्राधिकार रखने वाले प्रत्येक अन्य

प्राधिकार की अपेक्षाओं के अनुरूप करेगी। निरंतर अनुरूपता इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्रता की एक शर्त होगी।

ii. इस नीति के अंतर्गत किसी इकाई द्वारा उत्पादित सी0बी0जी0 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, यथासंशोधित, मानकों की प्रत्येक शर्त के अनुरूप होगी, तथा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अथवा सिटी गैस वितरण नेटवर्क में इंजेक्ट किए जाने की स्थिति में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के लागू एक्सेस कोड विनियमों के अंतर्गत गुणवत्ता विनिर्देशों के भी अनुरूप होगी।

iii. यदि प्रोत्साहन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ कोई मिथ्या घोषणा की जाती है, अथवा किसी अपात्र इकाई हेतु प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है, अथवा इस नीति की शर्तों का कोई उल्लंघन होता है, तो प्रोत्साहन की राशि ऐसा लाभ प्राप्त करने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूलनीय होगी। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार ऐसी राशि, ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकेगी।

iv. यदि कोई इकाई इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पश्चात् उत्पादन सुविधा को भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम/राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए जाने वाले ईंधन–श्रेणी इथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बॉयोगैस से भिन्न किसी उत्पाद के उत्पादन हेतु परिवर्तित करती है, तो प्रोत्साहन की राशि ऐसा लाभ प्राप्त करने की तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूलनीय होगी। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार ऐसी राशि, ब्याज सहित, भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकेगी।

v. जीवाश्म ईंधनों के सम्मिश्रण का निषेध – इस नीति के अंतर्गत निबंधित कोई भी परियोजना जैविक फीडस्टॉक के साथ जीवाश्म–आधारित ईंधनों का सम्मिश्रण अथवा सह–प्रसंस्करण नहीं करेगी। फीडस्टॉक में अथवा बायोगैस उन्नयन प्रक्रिया में, किसी भी जीवाश्म–व्युत्पन्न आगत का मिश्रण निषिद्ध है। उल्लंघन इस नीति के अंतर्गत निबंधन रद्द किए जाने तथा उपर्युक्त उप–कंडिका (iii) के अनुसार वितरित प्रोत्साहनों की ब्याज सहित वसूली का आधार होगा।

8. इस नीति में प्रयुक्त शब्दों के वही अर्थ होंगे जो संदर्भानुसार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अंतर्गत समानुदेशित हैं। निर्वचन/विवाद संबंधी सभी विषयों का निर्णय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसा निर्वचन/निर्णय अंतिम होगा।

9. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की नकारात्मक सूची में उल्लिखित उद्योग इस नीति के अंतर्गत किसी प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होंगे।

10. इस नीति के अनूदित संस्करण के अर्थ एवं निर्वचन में किसी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा का संस्करण सभी दृष्टियों से बाध्यकारी एवं अभिभावी होगा।

11. बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 एवं उसके पश्चात्वर्ती संशोधन के अंतर्गत किए जा रहे कार्य आच्छादित माने जाएँगे।

12. यह नीति अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी। परंतु इस नीति की समाप्ति, अधिक्रमण अथवा वापसी से पूर्व इसके अंतर्गत संस्वीकृत प्रोत्साहन, ऐसी समाप्ति, अधिक्रमण अथवा वापसी के होते हुए भी, संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार वितरित किया जाता रहेगा।

13. समीक्षा एवं संशोधन – राज्य नोडल एजेंसी इस नीति की वार्षिक समीक्षा करेगी तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति, क्षेत्रीय विकास की प्रवृत्तियों, बाजार की प्रगति, प्रोत्साहनों के उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता, पर्यावरणीय विचारणों तथा राज्य सरकार पर समग्र वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक संशोधनों की अनुशंसा करेगी। ऐसी समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर बिहार सरकार, अधिसूचना, कार्यकारी आदेश अथवा किसी अन्य समुचित प्रपत्र के माध्यम से, ऐसे संशोधन, युक्तिकरण, परिवर्तन, विस्तार, स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त हस्तक्षेप लागू कर सकेगी, जो आवश्यक अथवा समीचीन समझे जाएँ, जिनमें

प्रोत्साहन संरचनाओं, पात्रता मानदण्डों, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं एवं कार्यान्वयन प्रणालियों का पुनरीक्षण सम्मिलित है।

14. अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज – ऐसी परियोजनाएँ, जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी में रु0 2000 करोड़ से अधिक का निवेश होता है तथा जो 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती हैं, राज्य के निवेश वातावरण एवं रोजगार सृजन को दीर्घकालिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेंगी। ऐसी कोई भी निवेश परियोजना अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज की हकदार होगी।

15. व्यावृत्ति, संक्रमण एवं अनन्य प्रयोज्यता –

i. बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 एवं उसका 2025 का संशोधन इस नीति की अधिसूचना की तिथि से अधिक्रमित हो जाएँगे।

ii. 2023 की नीति अथवा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अनुमोदन, स्टेज–1 क्लीयरेंस, वित्तीय स्वीकृतियाँ, भूमि आवंटन, संस्वीकृतियाँ, निबंधन, प्रोत्साहन संबंधी प्रतिबद्धताएँ एवं वितरण वैध बने रहेंगे तथा उन पर लागू शर्तों द्वारा शासित होंगे।

iii. किसी परियोजना को, जिसे उसी परियोजना हेतु किसी पूर्ववर्ती राज्य नीति के अंतर्गत पात्रता प्रदान की जा चुकी है, नई नीति के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा।

iv. कोई भी परियोजना एक ही निवेश, परिसंपत्ति, संस्थापित क्षमता अथवा परियोजना गतिविधि हेतु राज्य सरकार की एक से अधिक नीतियों के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करेगी।

v. तथा नई नीति इथेनॉल एवं सी0बी0जी0/बायो–सी0एन0जी0 इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने से संबंधित एकमात्र राज्य नीति होगी, जो पूर्व में संस्वीकृत प्रोत्साहनों की व्यावृत्ति, केन्द्रीय योजनाओं के साथ समेकन, बियाडा भू–आवंटन शर्तों, अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की परिभाषाओं, पात्रता शर्तों, क्षेत्रीय वर्गीकरणों एवं अनुमोदित परियोजना लागत संबंधी प्रावधानों के निरंतर लागू होने के अधीन होगी।

16. "बिहार बॉयो–फ्यूल एवं कम्प्रेस्ड बायो–गैस (सी0बी0जी0) उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026" पर दिनांक–28.10.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या–02 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कुन्दन कुमार)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3993(H) /पटना, दिनांक– 30/10/26
संचिका सं0–उ0नि0/IP (कोषांग)–156/2026

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी /विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3993(H) /पटना, दिनांक– 30/10/26
संचिका सं0– उ0नि0/ IP (कोषांग)–156/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3993(H) /पटना, दिनांक– 30/10/26

संचिका सं0– उ0नि0 / IP (कोषांग)–156 / 2026

प्रतिलिपिः– सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/सचिव, उद्योग विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/अध्यक्ष, बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग, पटना/निदेशक, एम०एस०एम०ई०डी०आई०, पटना/मुजफ्फरपुर/उद्योग विभाग के सभी निगम एवं प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3993(H) /पटना, दिनांक– 30/10/26

संचिका सं0– उ0नि0 / IP (कोषांग)–156 / 2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3993(H) /पटना, दिनांक– 30/10/26

संचिका सं0–उ0नि0 / IP (कोषांग)–156 / 2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3993(H) /पटना, दिनांक– 30/10/26

संचिका सं0–उ0नि0 / IP (कोषांग)–156 / 2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिभाषाएँ

इस नीति में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

i) "एग्रीगेटर" से अभिप्रेत है कोई कृषक उत्पादक संगठन, प्राथमिक कृषि साख समिति, सहकारी समिति, जीविका/बी0आर0एल0पी0एस0 के अंतर्गत निबंधित स्वयं सहायता समूह संघ, अथवा कंडिका 6.6.3 के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी द्वारा निबंधित कोई अन्य संस्था, जो किसी परिभाषित कैचमेंट क्षेत्र के भीतर किसी संयंत्र को पात्र फीडस्टॉक के संगठित संग्रहण, एकत्रीकरण, भंडारण एवं आपूर्ति में संलग्न हो;

ii) "बायोमास" से अभिप्रेत है जैविक उत्पत्ति की कोई भी जैविक सामग्री, जिसमें कृषि अवशेष, पशु गोबर, नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैविक अंश, प्रेस मड, सीवेज, ऊर्जा फसलें तथा कृषि–औद्योगिक उप–उत्पाद सम्मिलित हैं, जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 के अंतर्गत तथा राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा यथा अनुमोदित फीडस्टॉक के रूप में पात्र हों;

iii) "बायोमास आकलन" से अभिप्रेत है कंडिका 6.6.1 के अंतर्गत राज्य नोडल एजेंसी द्वारा ब्रेडा एवं जिला सशक्त समितियों के माध्यम से संचालित अथवा कराया गया, फीडस्टॉक के प्रकार के अनुसार उपलब्ध बायोमास का जिलावार एवं प्रखंडवार सर्वेक्षण एवं परिमाणन, जिसे प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार अद्यतन किया जाएगा;

iv) "कैचमेंट क्षेत्र" से अभिप्रेत है पंचायत समिति, नगर निकाय अथवा प्रखंड स्तर पर आधारित वह भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र, जिसे राज्य नोडल एजेंसी द्वारा, अपने सदस्यों, जिला सशक्त समिति तथा अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से, किसी निबंधित सी0बी0जी0 संयंत्र के अनन्य बायोमास स्रोत क्षेत्र के रूप में अभिहित किया गया हो। कैचमेंट क्षेत्र का निर्धारण संयंत्र की अनुमोदित प्रसंस्करण क्षमता, फीडस्टॉक की आकलित अधिशेष उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स संबंधी विचारणों, विद्यमान आवंटनों तथा राज्य नोडल एजेंसी द्वारा समय–समय पर यथा विहित अन्य मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा;

v) "कमांड क्षेत्र" से अभिप्रेत है कैचमेंट क्षेत्र से परे वह विस्तृत क्षेत्र, जिसके भीतर कोई संयंत्र, अधिशेष के अनावंटित रहने की स्थिति में, गैर–अनन्य आधार पर फीडस्टॉक प्राप्त कर सकेगा, तथा जिसके भीतर उसकी एकत्रीकरण, भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ अवस्थित की जा सकेंगी;

vi) "सी0बी0जी0 एम0आई0एस0" से अभिप्रेत है राज्य नोडल एजेंसी द्वारा संधारित राज्य स्तरीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसमें सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से इकाइयों द्वारा आवधिक प्रतिवेदन से आँकड़े प्राप्त होंगे तथा जो उत्पादन, क्षमता उपयोग, फीडस्टॉक खपत, एफ0ओ0एम0 एवं एल0एफ0ओ0एम0 उत्पादन, रोजगार तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी संबंधी आँकड़ों को समेकित करेगी;

vii) "वाणिज्यिक संचालन की तिथि" से अभिप्रेत है इकाई द्वारा ईंधन–श्रेणी इथेनॉल अथवा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस के प्रथम वाणिज्यिक विक्रय की तिथि, जो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रथम विक्रय बीजक द्वारा साक्ष्यित हो तथा कम्प्रेस्ड बॉयोगैस इकाई की स्थिति में कंडिका 4.2 की टिप्पणी (v) द्वारा अपेक्षित मापन प्रणालियों द्वारा पुष्ट हो;

viii) "जिला सशक्त समिति" से अभिप्रेत है कंडिका 6.1(vi) के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित समिति;

ix) "वित्तीय स्वीकृति" से अभिप्रेत है स्टेज–1 क्लीयरेंस के पश्चात् किसी पात्र इकाई को प्रदान की गई वित्तीय संस्वीकृति, जो इस नीति के अंतर्गत उसकी प्रोत्साहन संबंधी हकदारी का निर्धारण करती है;

x) "गोबरधन योजना" से अभिप्रेत है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रशासित, कम्प्रेस्ड बॉयोगैस क्षेत्र के विकास हेतु गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना, कार्यालय ज्ञाप सं0 L-16022/9/2025-GP-I-Part(1) दिनांक 15.09.2026 द्वारा निर्गत घटकवार परिचालन दिशानिर्देशों सहित, जैसा कि समय–समय पर संशोधित हो; "गोबरधन पोर्टल" से अभिप्रेत है उक्त योजना के अंतर्गत सी0बी0जी0 संयंत्रों के निबंधन हेतु अभिहित पोर्टल, तथा "प्लांट आई0डी0" से अभिप्रेत है उक्त पोर्टल पर किसी सी0बी0जी0 संयंत्र को निर्गत पहचान संख्या;

xi) "दीर्घकालिक फीडस्टॉक संविदा" से अभिप्रेत है किसी विकासकर्ता, एग्रीगेटर तथा फीडस्टॉक प्रदाताओं अथवा किसी संस्थागत फीडस्टॉक स्रोत के मध्य निष्पादित, न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि की फीडस्टॉक आपूर्ति संविदा, जो सिंगल विण्डो पोर्टल पर निबंधित हो;

xii) "सिंगल विण्डो पोर्टल" से अभिप्रेत है swc2.bihar.gov.in पर उद्योग विभाग का सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल, जिसमें कंडिका 6.4 के अंतर्गत स्थापित समर्पित सी0बी0जी0 मॉड्यूल सम्मिलित है;

xiii) "स्टेज–1 क्लीयरेंस" से अभिप्रेत है सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन पर कंडिका 5.7(i) के अंतर्गत किसी पात्र इकाई को प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति;

xiv) ''कार्यकारी समिति से अभिप्राय बिहार ईज आफ डूइंग बिनेस अधिनियम, 2026 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत गठित कार्यकारी समिति से है, तथा ''राज्य नोडल एजेंसी से अभिप्राय इस नीति के खंड 6.1 द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यरत उक्त कार्यकारी समिति से है। इस नीति में किसी भी अभिव्यक्ति का कोई भी संदर्भ उसी निकाय के संदर्भ में माना जाएगा।

xv) "संस्थापित क्षमता" से अभिप्रेत है, कम्प्रेस्ड बॉयोगैस इकाई की स्थिति में, सी0बी0जी0 टन प्रतिदिन में उसकी संस्थापित उत्पादन क्षमता, जिसे "टी0पी0डी0" भी कहा गया है, तथा इथेनॉल इकाई की स्थिति में, ईंधन–श्रेणी इथेनॉल किलोलीटर प्रतिदिन में उसकी संस्थापित उत्पादन क्षमता, जो प्रत्येक स्थिति में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट हो तथा कमीशनिंग पर सत्यापित हो; फीडस्टॉक प्रसंस्करण क्षमता को पृथक रूप से फीडस्टॉक टन प्रतिदिन में दर्शाया जाएगा।

अनुलग्नक–II

संक्षिप्तियों की सूची

संक्षिप्ति	पूर्ण रूप	संक्षिप्ति	पूर्ण रूप
बियाडा	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	एम0डी0ए0	बाजार विकास सहायता
बी0आई0आई0पी0 पी0	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति	एम0आई0एस0	प्रबंधन सूचना प्रणाली
ब्रेडा	बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	एम0एस0डब्ल्यू0	नगरीय ठोस अपशिष्ट
बी0आर0एल0पी0 एस0	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति	एन0ए0	गैर–कृषि
बी0एस0आर0टी0 सी0	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	ओ0जी0एम0सी0	तेल एव गैस विपणन कंपनी
कैपेक्स	पूंजीगत व्यय	पैक्स	प्राथमिक कृषि साख समिति
सी0बी0जी0	कम्प्रेस्ड बॉयोगैस	पी0एच0ई0डी0	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
सी0जी0डी0	सिटी गैस वितरण	पी0एन0जी0आर0 बी0	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
सी0एन0जी0	कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस	पी0पी0पी0	सार्वजनिक–निजी भागीदारी
डी0आई0सी0	जिला उद्योग केन्द्र	पी0आर0ओ0एम0	फॉस्फेट–समृद्ध जैविक खाद
डी0पी0आर0	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	आर0ओ0यू0	उपयोग का अधिकार
ई0बी0पी0	इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम	सतत	किफायती परिवहन की दिशा में सतत् विकल्प
एफ0सी0ओ0	उर्वरक नियंत्रण आदेश	एस0जी0एस0टी0	राज्य माल एवं सेवा कर
एफ0ओ0एम0	किण्वित जैविक खाद	एस0एच0जी0	स्वयं सहायता समूह
एफ0पी0ओ0	कृषक उत्पादक संगठन	एस0आई0पी0बी0	राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद
जी0एम0सी0	गैस विपणन कंपनी	एस0एम0ए0एम0	कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन
एच0ए0एम0	हाइब्रिड एन्युटी मॉडल	एस0ओ0पी0	मानक संचालन प्रक्रिया
के0वी0के0	कृषि विज्ञान केन्द्र	टी0पी0डी0	टन प्रतिदिन
एल0एफ0ओ0एम0	तरल किण्वित जैविक खाद	यू0एल0बी0	नगर निकाय
एल0ओ0आई0	आशय पत्र	जेड0एल0डी0	शून्य तरल निस्सरण